

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक - 181/2025/9458
प्रार्थीगण

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस.

दिनांक - 05.12.25

बनाम

अप्रार्थीगण

1 खरथाराम 2 चुतराराम 3
चम्पाराम 4 तगाराम 5 बाबूराम
6 मोहनलाल 7 रामाराम पिसरान
ठाकराराम 8 राणाराम 9
गंवराराम पिसरान बीजाराम 10
अणसी पत्नि बीजाराम जाति
कुम्हार (प्रजापति) निवासी छीतर
का पार, तहसील बाटाडू जिला
बाड़मेर

1 गंगाराम पुत्र अजाराम 2 दीपाराम 3 रावताराम 4 डालूराम 5
मगाराम पिसरान सिमरथाराम 6 हरखाराम 7 कलाराम पिसरान
खुमाराम 8 तुलसी पत्नि ताजाराम 9 रेंवताराम 10 गोमाराम 11
भोमाराम पिसरान ताजाराम 12 रतनाराम 13 विशनाराम 14
सत्यनारायण 15 सरूपाराम पिसरान पूनमाराम 16 लाछी पत्नि
पूनमाराम 17 भैरारामद पुत्र पूनमाराम 18 रावताराम पुत्र
अर्जुनराम 19 गुमनी पत्नि अर्जुनराम 20 रावताराम 21
टीकमाराम 22 चौथाराम 23 रेखाराम पिसरान जुगताराम 24
भीखी पत्नि मंगलाराम 25 राणाराम 26 सवाई पिसरान
मंगलाराम 27 विशनाराम पुत्र अचलाराम 28 आसूराम 29
गिरधारीराम पिसरान प्रहलादराम 30 रामाराम पुत्र रकवाराम 31
गोमी पत्नि मगाराम 32 टाऊदेवी पत्नि गिरधारीराम जातियान
कुम्हार 33 भोजाराम पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी छीतर का
पार तसहील बाटाडू जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 181/2025 दिनांक- 26/11/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा छीतर का पार पटवार क्षेत्र छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 811/646 रकबा 0.4699 हैक्टेयर, खसरा संख्या 533/244 रकबा 1.4400 हैक्टेयर, खसरा
संख्या 648/244 रकबा 1.8445 हैक्टेयर, खसरा संख्या 647/244 रकबा 1.4319 हैक्टेयर, खसरा संख्या
498/207 रकबा 1.2540 हैक्टेयर, खसरा संख्या 513/227 रकबा 0.9223 हैक्टेयर, व मौजा उदाराम की
ढाणी पटवार क्षेत्र छीतर का पार तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 495/94 रकबा 0.6068
हैक्टेयर, खसरा संख्या 498/347 रकबा 1.9578 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाटाडू को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने
से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खडी
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक
हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी

बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/9459-9462

दिनांक-

05.12.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी छीतर का पार तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर
नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी खरथाराम पुत्र बीजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी छीतर का पार, तसहील बाटाडू जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण गंगाराम पुत्र अजाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी छीतर का पार, तसहील बाटाडू जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

उप खण्ड अधिकारी

बाड़मेर